

२. चुनाव प्रक्रिया

भारतीय लोकतंत्र की दिशा में जो प्रगति हुई है; उसमें चुनावों का बहुत बड़ा योगदान है। चुनाव और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और चुनावों के माध्यम से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, यह तो हम जानते ही हैं। चुनावों के कारण शांतिपूर्ण मार्ग से सत्ता परिवर्तन होता है। विभिन्न राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होता है। शासन की नीतियों में परिवर्तन आता है और समाज जीवन में भी परिवर्तन होता है। हम जिन प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, वे कार्यक्षम, ईमानदार, विश्वासपात्र और लोगों की भावनाओं का सम्मान करें, ऐसी हमारी सोच होती है। जिस चुनाव प्रक्रिया द्वारा हम अपने प्रतिनिधियों को चुनने वाले हैं, वह चुनाव प्रक्रिया भी खुली, निष्पक्ष और विश्वसनीय होनी चाहिए। इस दृष्टि से भारतीय संविधान द्वारा चुनाव संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है।

भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य स्तर पर कार्यरत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा देश में सभी महत्वपूर्ण चुनाव करवाए जाते हैं। निर्वाचन की तारीखों की घोषणा करने से लेकर चुनावों के परिणाम घोषित करने तक की पूरी चुनावी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन और नियंत्रण में चलती है।



क्या, आप जानते हैं ?

प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं? आधुनिक लोकतंत्र एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। लोकतंत्र की निर्णय प्रक्रिया में पूरी जनता का समावेश करना संभव नहीं है। इसलिए जनता द्वारा कुछ लोगों को शासन चलाने के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुनने की पद्धति का निर्माण हुआ। प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी रहकर जनकल्याण को प्रधानता देते हुए शासन चलाएँ, ऐसी अपेक्षा की जाती है।

एक बड़े और व्यापक जनतंत्र प्रक्रिया का चुनाव प्रक्रिया एक अविभाज्य घटक है।

प्रस्तुत पाठ में हम निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य और भूमिका आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे। चुनावी प्रक्रिया में कौन-कौन-से सुधार होना आवश्यक है, इसकी भी चर्चा हम इस पाठ में करेंगे।

निर्वाचन आयोग

भारतीय चुनाव प्रक्रिया के केंद्र स्थान में निर्वाचन आयोग ही है। भारतीय संविधान की धारा ३२४ द्वारा एक स्वायत्त व्यवस्था का निर्माण किया गया है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दो उपआयुक्त होते हैं।

निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता अबाधित रहे; इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बड़ी सरलता से या किसी राजनीतिक कारण से पद से हटाया नहीं जाता। निर्वाचन आयोग के व्यय के लिए स्वतंत्र वित्तीय प्रावधान किया गया है।



क्या, आप जानते हैं ?



सुकुमार सेन

स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। १९२९ ई. में सेन अंग्रेजों की प्रशासनिक सेवा में दाखिल हुए। कालांतर में १९५० ई. में निर्वाचन आयोग की स्थापना की

गई और उन्हें चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। बड़ी ही प्रतिकूल और विकट परिस्थिति में उन्होंने बड़ी कुशलता से निर्वाचन आयोग का कामकाज सँभाला।

निर्वाचन आयोग में स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नहीं है। अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सहयोग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाती है।

निर्वाचन आयोग के कार्य

(१) मतदाताओं की सूची तैयार करना : १८ वर्ष पूर्ण आयुवाले हर भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का उपयोग करने के लिए उसका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। मतदाताओं की सूची बनाना, उसे अद्यतन बनाए रखना, नए मतदाताओं का समावेश करना आदि कई प्रकार के कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। मतदाताओं को पहचानपत्र देने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है।



क्या, आप जानते हैं ?

मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष मतदाता जागृति अभियान चलाया जाता है। उसके लिए 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' मनाया जाता है।

(२) चुनावों की समय सारिणी और संपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित करना : चुनावों को पूर्ण रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होने के कारण किस राज्य में कब और कितने चरणों में चुनाव करवाने हैं, इसका निर्णय आयोग लेता है।

(३) प्रत्याशियों/उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की छानबीन : चुनावों की तारीखों की घोषणा होने के



ऐसा क्यों करना पड़ता है ?

- प्रत्याशी के चुनाव में खड़े होने के लिए आयु सीमा की शर्त होती है, फिर भी अन्य जानकारी निर्वाचन आयोग को देना क्यों आवश्यक है ?
- प्रत्याशी को अपने पास की संपत्ति का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को क्यों देना पड़ता है ?

बाद विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने प्रत्याशियों को चुनाव में खड़े करते हैं। साथ ही; कुछ प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन न लेते हुए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ सभी प्रत्याशियों को नामांकनपत्र भरना पड़ता है। उसमें स्वयं की संपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी लिखनी पड़ती है। निर्वाचन आयोग द्वारा इन नामांकन की कड़ी जाँच पड़ताल/छानबीन की जाती है और पात्र प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है।

(४) राजनीतिक दलों को मान्यता देना : अपने देश में बहुदलीय पद्धति है। साथ ही नए-नए राजनीतिक दलों का गठन होता रहता है। राजनीतिक दलों में फूट पैदा होकर नए राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। ऐसे सभी दलों को निर्वाचन आयोग की मान्यता लेना अनिवार्य होता है। किसी राजनीतिक दल की मान्यता को समाप्त करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग को है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न प्रदान करता है।

क्या आप बता सकते हैं ?

निर्वाचन आयोग किन निकषों पर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है ?



ऐसा क्यों ?

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रखे जाते हैं ?
- सभी राजनीतिक दलों के अपने चुनाव चिह्न होते हैं।
- मतदान और मतगणना के समय राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं।
- दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे संचार माध्यमों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को समान अवसर प्राप्त रहता है।

(५) चुनाव से संबंधित विवादों को हल करना : चुनाव के संदर्भ में अगर कोई विवाद छिड़ जाता है, तो उसे हल करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होती है। तदनुसार किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवाना या किसी प्रत्याशी को अपात्र घोषित करना जैसे कार्य भी निर्वाचन आयोग करता है।

निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना : लोकसभा के कुल ५४३ सदस्य हैं। इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्येक सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र का

प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात् लोकसभा के ५४३ निर्वाचन क्षेत्र हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करने का कार्य चुनाव आयोग की सीमांकन/परिसीमन (Delimitation Commission) समिति द्वारा किया जाता है। यह समिति किसी के भी दबाव

समझ लीजिए

मतदान करना आपका कर्तव्य है और दायित्व भी!



निम्नलिखित में से किन दो कारणों से आचारसंहिता का भंग होता है, ऐसा आपको लगता है?

- * प्रत्याशियों का बस्ती के लोगों में घरेलू चीजों का वितरण करना।
- * चुने जाने पर जलापूर्ति की समस्या हल करने का आश्वासन देना।
- * घर-घर जाकर मतदाताओं से मिलना और जिता देने के लिए प्रार्थना करना।
- * जाति या धर्म की दुहाई देकर समर्थन प्राप्त करना।

मतदाताओं के लिए बनाई गई आचारसंहिता में आप अन्य किन नियमों का समावेश करेंगे?

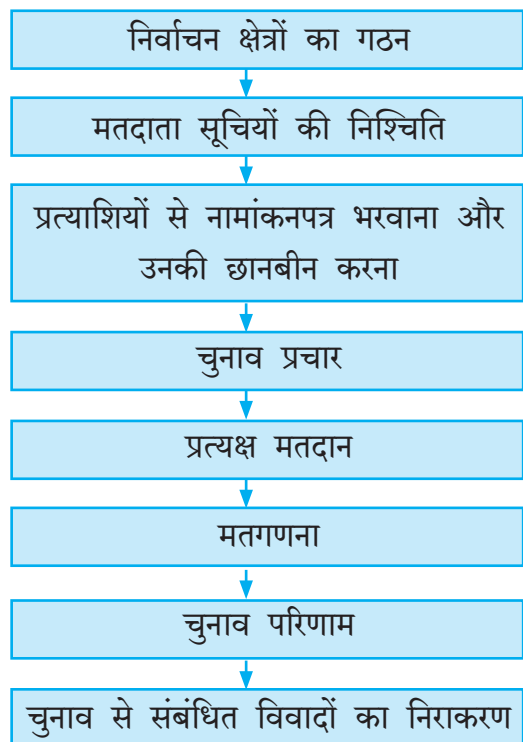
ध्यान में रखो



हिमाचल प्रदेश के निवासी श्यामशरण नेगी भारत के पहले मतदाता बने। २५ अक्टूबर १९५१ को हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने मतदान के अधिकार का उपयोग किया।

में न आते हुए तटस्थ रूप से निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना करती है ।

चुनाव प्रक्रिया :



आचारसंहिता किसे कहते हैं ?

भारत में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव होने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से जिन उपायों का कार्यान्वयन किया गया है, उनमें आचार संहिता (Code of conduct) का भी समावेश किया जा सकेगा । पिछले कुछ दशकों से निर्वाचन आयोग ने अपने सभी अधिकारों का उपयोग करते हुए चुनाव में जो अनियमितताएँ पाई जाती हैं, उनकी रोकथाम करने की कोशिश की है । चुनाव से कुछ समय पूर्व तथा चुनाव के समय सरकार, राजनीतिक दल और मतदाताओं को चुनाव से संबंधित किन नियमों का पालन करना चाहिए; यह आचार संहिता में स्पष्ट किया गया है । सरकार भी इन नियमों का भंग नहीं कर सकती । पिछले कुछ चुनावों में आचारसंहिता का पालन न करने पर जो कार्यवाहियाँ की गईं; उससे सामान्य मतदाता आश्चस्त होता दिखाई देता है ।

निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव करवाने में आनेवाली चुनौतियाँ : हमारे देश का विस्तार और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए चुनाव करवाना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है । निर्वाचन आयोग को कानून के दायरे में रहकर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है । यहाँ कुछ चुनौतियों का उल्लेख किया है ।

- चुनाव के समय बड़ी मात्रा में पैसों का अवैध रूप से लेन-देन होता है । उसकी रोकथाम के लिए निर्वाचन आयोग को कुछ उपाय योजना करनी पड़ती है ।
- कुछ प्रत्याशी आपराधिक प्रवृत्ति के होते हुए भी राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें टिकट दिया जाता है और वे जीतकर भी आते हैं । इससे राजनीति का अपराधीकरण होता ही है । साथ ही; निर्वाचन आयोग को भी निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में चुनाव करवाने में कई समस्याएँ आती हैं ।
- चुनाव के समय होनेवाली हिंसा भी एक बड़ी चुनौती है । चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा



क्या, आप जानते हैं ?

प्रथम लोकसभा के चुनाव के समय मतदाता सूची बनाने का काम बहुत ही चुनौती भरा था । हमारे देश में अशिक्षित लोगों का अनुपात अधिक था । इसलिए मतदान के लिए विशेष पद्धति का उपयोग किया गया । मतदान के लिए स्टील की लगभग बीस लाख मतपेटियाँ तैयार की गईं । उन मतपेटियों पर राजनीतिक दलों के चुनावी चिह्न चिपकाए गए । मतदाता को जिस राजनीतिक दल को मतदान करना है, उस दल की चुनाव चिह्नवाली मतपेटी में मतदाता कोरे कागज को मोड़कर डालेगा इससे अशिक्षित लोगों को मतदान करना आसान हुआ ।

की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। उसकी रोकथाम के लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे बढ़कर निर्वाचन आयोग को सहयोग देना चाहिए।

सोचिए

- परिवारवाद से राजनीतिक दलों की कौन-सी हानि होती होगी?
 - ‘एक वोट, एक मूल्य’ इससे आप क्या समझते हैं?
 - राजनीति में अपने परिवार का प्रभाव बना रहे, इसके लिए रिश्तेदारों को उम्मीदवारी देने की कोशिश की जाती है, जिससे प्रातिनिधिक संस्थाओं में पारिवारिक एकाधिकार निर्माण हो सकता है।
- चुनावी सुधार :** चुनाव एक निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है। चुनावों पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर रहता है। उचित सुधार करने पर चुनाव प्रक्रिया की

विश्वसनीयता बढ़ जाती है। यहाँ चुनाव सुधार के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। आपकी दृष्टि में उनके क्या परिणाम हो सकते हैं?

- राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु राजनीतिक दल ५०% महिलाओं को उम्मीदवारी दें और उन्हें चुनाव में विजयी करवाने की कोशिश करें।
- आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीतिक दल उम्मीदवारी न दें। इस संदर्भ में न्यायालयीन निर्णयों का सख्ती से पालन हो।
- चुनाव का खर्च सरकार द्वारा किया जाए। जिससे राजनीतिक दल आर्थिक अनियमितता नहीं करेंगे और चुनाव के समय धन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।
- जनप्रतिनिधि कानून में भी उस दृष्टि से संशोधन करके आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा।

मतपेटी से ईवीएम मशीन तक की यात्रा

स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव सन १९५१-५२ ई. में संपन्न हुआ। यहीं से उसके द्वारा चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को आकार देने की शुरुआत हुई। प्रारंभिक कई चुनावों में मतपेटियों का उपयोग किया जाता था। ९० के दशक से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM Machine) उपयोग में लाई जाने लगी। मतदान में यंत्र के उपयोग से कई चीजें साध्य हो गईं। ईवीएम मशीन पर दर्शाए गए प्रत्याशियों में से किसी को भी वोट नहीं



देना हो तो उपरोक्त में से कोई नहीं (None Of The Above-NOTA) का विकल्प मतदाताओं के लिए संभव हुआ। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी मतदान करना आसान हुआ। पर्यावरण की सुरक्षा में मदद मिली। विशेषतः वृक्ष कटाई पर प्रतिबंध लगा। साथ ही चुनावी परिणाम जल्दी आने लगे।

यह भी समझ लें -

सार्वजनिक चुनाव - हर पाँच वर्ष बाद होनेवाले लोकसभा के चुनावों को सार्वजनिक अथवा आम चुनाव कहा जाता है।

मध्यावधि चुनाव - निर्वाचित सरकार अपनी कालावधि पूर्ण करने से पहले ही अल्पमत में आ जाती है या गठबंधनवाली सरकार होने पर अथवा सहयोगी दल यदि समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार अपना बहुमत खो देती है। ऐसी स्थिति में यदि पर्यायी सरकार के गठन की संभावना नहीं रह जाती है; तब ऐसे समय निर्धारित अवधि से पहले ही चुनाव करवाने पड़ते हैं। इन्हें मध्यावधि चुनाव कहा जाता है।

उपचुनाव - विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय शासन संस्था के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर या किसी जनप्रतिनिधि की मृत्यु होने पर वह स्थान रिक्त हो जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए फिर से चुनाव करवाया जाता है। उसे उपचुनाव कहा जाता है।



क्या, आप जानते हैं ?

८ अक्टूबर २०१० ई. को निर्वाचन आयोग द्वारा विशेषज्ञ व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन में 'मतदाता-सत्यापित रसीद' VVPAT (Voter Verified Paper Audit Trail) सुविधा का समावेश करना निश्चित हुआ। इसे सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया। अपने वोट का सही ढंग से पंजीकरण हुआ या नहीं, इसे जाँचने की सुविधा मतदाता को प्राप्त हुई। चुनावी अनियमितताओं को रोकने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

इस पाठ में हमने चुनावी प्रक्रिया का कई अंगों से अध्ययन किया। अगले प्रकरण में हम भारतीय राजनीतिक दलों का अध्ययन करेंगे।



स्वाध्याय



१. निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

- (१) निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति द्वारा की जाती है।
(अ) राष्ट्रपति (ब) प्रधानमंत्री
(क) लोकसभा अध्यक्ष (ड) उपराष्ट्रपति
- (२) स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में की नियुक्ति हुई।
(अ) डॉ. राजेंद्र प्रसाद (ब) टी. एन. शेषन
(क) सुकुमार सेन (ड) नीला सत्यनारायण
- (३) निर्वाचन क्षेत्र के गठन का कार्य निर्वाचन आयोग

की समिति द्वारा किया जाता है।

- (अ) नियुक्ति (ब) परिसीमन (सीमांकन)
(क) मतदान (ड) समय सारिणी

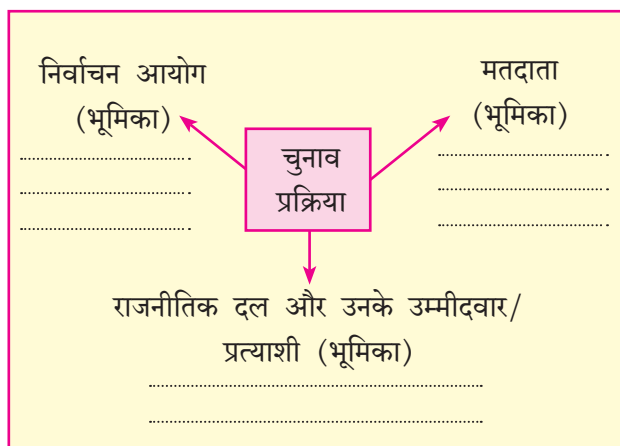
२. निम्न कथन सत्य अथवा असत्य; सकारण बताइए।

- (१) निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के समय आचार संहिता लागू की जाती है।
- (२) विशेष परिस्थिति में निर्वाचन आयोग किसी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवा सकता है।
- (३) किसी राज्य में चुनाव कब और कितने चरणों में लेना है, इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

३. अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए ।

- (१) निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना
- (२) मध्यावधि चुनाव

४. निम्न संकल्पनाचित्र पूर्ण कीजिए ।



५. संक्षेप में उत्तर लिखिए ।

- (१) निर्वाचन आयोग के कार्य स्पष्ट कीजिए ।
- (२) निर्वाचन आयुक्त पद के बारे में अधिक जानकारी लिखिए ।
- (३) चुनाव आचार संहिता किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए ।

उपक्रम

विद्यालय में अभिरूप (प्रायोगिक) मतदान प्रक्रिया (mock poll) का आयोजन कीजिए तथा मतदान प्रक्रिया समझ लीजिए ।

